न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
सार्व0वि0प्र0 वाद संख्या–188/2013
भोला राय बनाम बिहार सरकार द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
10/07/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदक भोला राय, पे0–विशुनदेव राय, ग्राम–रेवढ़ा, प्रखण्ड+थाना–जाले, जिला–दरभंगा की ओर से वकालतनामा के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के आदेश ज्ञापांक–21मु0/सा0, दिनांक–21.10.2013 से आवेदक के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति संख्या–02/2000 को रद्द किये जाने के विरूद्ध वाद आवेदन दायर किया गया है। आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गयी। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के पत्रांक–728 दिनांक–19.08.2014 से निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ, जो अभिलेख पर संधारित है। वाद आवेदन के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के द्वारा आवेदक की जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति संख्या–02/2000 को रद्द किये जाने के विरूद्ध वाद आवेदन दाखिल किया गया है। इससे संबंधित अन्य किसी न्यायालय में किसी प्रकार का कोई वाद दायर नही किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अनुचित एवं अवैध तथा नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। दिनांक– 19.06.2013 को पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता की अनुज्ञप्ति संख्या–02/2000 वर्ष–2006 के दिसम्बर तक मान्य थी। अपीलकर्त्ता द्वारा वर्ष–2007 के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु नवीकरण शुल्क दिनांक–23.12.06 को ही जमा कर दिया गया, फिर भी अपीलकर्त्ता का अनुज्ञप्ति संख्या–02/2000 का नवीकरण नही किया गया, जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। आवेदक अपने अनुज्ञप्ति नवीकरण 2007 से 2011 एवं 2012 से 2016 के लिए नवीकरण विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक–06.08.2013 को जमा किया जिस पर अपीलकर्त्ता को सुने बिना ही आवेदक की अनुज्ञप्ति को अस्वीकृत कर दिया गया। आवेदक को जब से जन वितरण अनुज्ञप्ति दी गयी तब से लेकर आज तक अपीलकर्त्ता के विरूद्ध न तो किसी स्थानीय जनता /लाभुकों या किसी सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा आज तक कोई शिकायत नही किया है। उनका यह भी कहना है कि अपीलकर्त्ता द्वारा जानबुझकर अपने अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु शुल्क जमा करने में विलम्ब नही किया गया बल्कि अपने भतीजा कें गंभीर कैंसर रोग से ईलाज कराने के क्रम में कुछ विलम्ब हुआ। आवेदक के भतीजे की असमायिक मृत्यु हो जाने की असहाय पीड़ा के कारण कुछ माहों के लिए शारीरिक रूप से पीड़ित बना दिया। आवेदक जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी सामग्रियों का ईमानदारी से बिक्री कर अपने एवं अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। इसके अतिरिक्त अपीलकर्त्ता के आय का दूसरा कोई श्रोत नही है। जिस कारण अपीलकर्त्ता के अपील को स्वीकार	